Tenancy Services

क्या आप बोर्डिंग-हाउस में रहते हैं?

अपने अधिकारों को जानें!

हमारी वेबसाइट: www.tenancy.govt.nz/tenants-boarding-houses **पर जाएं**

या 0800 TENANCY (0800 836 262) **नम्बर पर फोन करें।**

MINISTRY OF BUSINESS, INNOVATION & EMPLOYMENT
HĪKINA WHAKATUTUKI

बोर्डिंग हाउस क्या होता है?

› एक या एक से ज्यादा बोर्डिंग कमरों वाला एक आवासीय परिसर (रहने की जगह); और

› जिसमें किरायेदारों के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए सुविधाएं होती हैं; और

› जिस में किसी भी समय के दौरान, कम से कम 6 किरायेदार रह रहे हैं या उन्हें रखने का इरादा हो।

बोर्डिंग हाउस की किरायेदारी क्या होती है?

एक बोर्डिंग हाउस में किरायेदारी वह होती है, जिसके कम से कम 28 दिनों के लिए, लागू होने या लागू होने की संभावना होती है, और किरायेदार को:

› अपने सोने के कमरे या क्वार्टर में रहने का एकमात्र अधिकार होता है

› साँझे की सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होता है।

बोर्डिंग हाउस के मकान मालिक के लिए जरूरी है कि:

› यह पक्का करे कि आपके किरायेदारी शुरू करने से पहले कमरे की सही तरीके से सफाई की गई है।

› यह पक्का करे कि साँझा सुविधाओं की सफाई हमेशा सही हालात में है।

› जायदाद की देखरेख करे और किसी भी जरूरी मरम्मत को पूरा करे।

› किराये को बढ़ाने से पहले आपको कम से कम 28 दिन पहले इस बारे में लिखे और बताए।

› बोर्डिंग कमरे में प्रवेश करने के लिए वैध नोटिस दे।

› धुएं के अलार्मों की सारी जरूरतों का अनुपालन करे।

› सारी निर्माण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जरूरतों का अनुपालन करे।

नोट: रेज़िडेन्शियल टेनेन्सीज़ एक्ट (आवासीय किरायेदारी अधिनियम) 1986 उन लोगों पर लागू नहीं होता जो 28 दिन से कम रहने का ख्याल रखते हैं। फिर भी, ऐसे हालातों में कम्युनिटी लॉ सैंटर और सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो सलाह दे सकते हैं।

बोर्डिंग हाउस के किरायेदारों के लिए 11 सुझाव

1. अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानें और हमसे कैसे सम्पर्क किया जाए यह जानें (पन्ने के दूसरी तरफ देखें)।
2. किरायेदारी के अग्रीमेंट (करारनामे) को लिखित रूप में हासिल करें।
3. घर के कायदे-कानूनों का पालन करें।
4. जब भी आप किराये या बॉन्ड का भुगतान नकदी में करें तो उसकी रसीद जरूर लें।
5. अपने किराये का भुगतान समय पर करें।
6. अगर किसी चीज की मरम्मत की जरूरत हो तो अपने मकान मालिक को बताएं।
7. मकान मालिक केवल कुछ खास हालातों में ही आपके कमरे के अन्दर आ सकता है।
8. आप जब खाली करके जाना चाहतें हैं तो मकान मालिक को 48 घंटे का नोटिस दें।
9. अगर आपको खाली करके जाने के लिए कहा जाता है तो यह पक्का कर लें कि मकान मालिक आपको इसकी सही सूचना/नोटिस देता है।
10. ज्यादातर मामलों में, मकान मालिक 28 दिन की सूचना/नोटिस के साथ किरायेदारी को खत्म कर सकता है।
11. दूसरे किरायेदारों की जायज़ शांति, आराम और गोपनीयता में दखल न दें।